जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2021/3873 दिनांक 26/11/2021

//कार्यालयीन आदेश//

कोरोना काल के दौरान जमा की हुई छात्रावास शुल्क के बारे में माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार निम्न प्रस्ताव मान्य किये जाते है:–

1. चूंकि मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हो गया था अतः दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक किसी भी छात्रावास में किसी प्रकार का कोई छात्रावास शुल्क न लिया जाना प्रस्तावित है।
2. यदि काई छात्र/छात्रा 01.04.2020 से आगे की छात्रावास फीस जमा कर चुके है तो उन्हे अप्रेल–2020 से आगे का शुल्क वापस किया जाना प्रस्तावित है।
3. ऐसे छात्र/छात्राऐं जो अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण कर चुके है या छात्रावास को समय से पहले छोडना चाहतें हैं ऐसे छात्र/छात्राओं की छात्रावास फीस वापस तभी होगी जब वह 15.04.2021 तक छात्रावास खाली कर नो–डयूज प्राप्त कर लेगें।
4. समस्त छात्रावासों में पिछले तीन वर्ष के छात्रावास शुल्क की आडिट एक माह के अन्दर कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु वार्डन संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराकर आडिट करायें।
5. ऐसे छात्र जिन्हे छात्रावास शुल्क स्कोलरशिप के साथ मिलती है उन्हे अपनी छात्रावास फीस वापसी हेतु प्रकरण जीवाजी विश्वविद्यालय स्कोलरशिप सैल से अग्रेषित करवाकर छात्रावास कार्यालय में देना होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. डॉ0 मनोज शर्मा
   वार्डन आर्यभटट् छात्रावास
2. डॉ0 जर्नादन कुमार तिवारी
   वार्डन रूप सिंह छात्रावास
3. डॉ0 स्वर्णा परमार
   वार्डन मृगनयनी छात्रावास
4. डॉ0 निमिशा जादौन
   वार्डन लक्ष्मीवाई छात्रावास, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

प्रतिलिपि,

1. चीफ वार्डन जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थं
2. कुलपति जी के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. प्रभारी, अधिकारी एससी/एस.टी सैल. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु ।
6. संबंधित नस्ती हेतु ।

सहा/उपकुलसचिव(प्रशासन)